पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड,
शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं0सं0:– PMAA/PRN/$\frac{Nayachak}{Sampatchak}$/ G+3 /100/2018 - 78 पटना, दिनांक– 22.05.2019

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्रीमती उषा देवी,
W/O- DASHRATH YADAV
ग्राम +पो०– कुम्हरार
थाना– सुलतानगंज,
नया चक, बिहार, पटना।

विषयः– प्लान केस संख्या– PMAA/PRN /$\frac{Nayachak}{Sampatchak}$/ G+3 /100/2018 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं0:– PMAA/PRN/$\frac{Nayachak}{Sampatchak}$/ G+3 /100/2018 दिनांक–12.07.2018 के संदर्भ में श्रीमती उषा देवी, W/O- Dashrath Yadav के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा– नया चक (सम्पतचक), थाना– फुलवारी, थाना सं०– 113, प्लॉट संख्या– 41(P), Tauzi No 425 खाता सं०– 36 जिला, पटना में आवासीय भवन, (G+3) के 15.04.2019 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 792.01m^2 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

LOKANKARA INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PVT. LTD.
Director

5. भूखण्ड के सामने 6.70 से 7.0मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी ।
9. भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशो के अनुसार मल जल निकास, सड़क एवं अन्य आधारभूत संरचनाओ का विकास बिहार भवन उपविधि 2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
11. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशो का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
12. समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
13. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा ।
14. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।

विश्वासभाजन,

16-5-2019

प्रभारी निदेशक, 16-5-19
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार, पटना।

Pc2/pmaa dep/re